

संख्या- I/715996/2026/DGMET-SEC30MISC/80/2026-S3-Part(1)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

चि०शि०महा०-छात्र अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 03-08-2026

नीट एस०एस०-2022 (डी०एम०/एम०सी०एच०) बैच के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सहायक आचार्य (संविदा) के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग की समय-सारिणी एवं महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017 दिनांक 07 मार्च, 2018 (यथासंशोधित) तथा शासनादेश संख्या-I/1006892/2025 दिनांक 26.06.2025 में निहित निर्देशों के क्रम में नीट एस०एस० 2022 (डी०एम०/एम०सी०एच०) बैच के अभ्यर्थियों को उनकी ऑल इण्डिया एस०एस० रैंक के आधार पर आनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से सहायक आचार्य (संविदा) के पद पर सेवायोजित किये जाने के संबंध में दिनांक 01.06.2026 को प्रकाशित समय-सारिणी एवं दिनांक 08.06.2026 को प्रकाशित महत्वपूर्ण सूचना के क्रम में नवीन समय-सारिणी एवं महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नवत है:-

क्र०सं०	विवरण	समय-सारिणी
1	आनलाइन च्वाइस फिलिंग की दिनांक	दिनांक 04.08.2026 (अपराह्न 03.00 बजे) से 06.08.2026 (अपराह्न 05.00 बजे) तक
2	सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की दिनांक	दिनांक 07.08.2026
3	आवंट पत्र डाउनलोड करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	दिनांक 07.08.2026 से 12.08.2026 तक

ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

- नीट एस०एस० 2022 बैच के समस्त अर्ह पंजीकृत अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग की वेबसाइट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर Log-in करते हुए प्राथमिकता (Priority) के अनुसार समस्त विकल्प (Choice) भरते हुए Choice Lock करना अनिवार्य है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा प्रश्नगत काउंसिलिंग हेतु पूर्व में जारी समय-सारिणी दिनांक 01.06.2026 के अनुसार च्वाइस फिल कर दी गयी थी, वह च्वाइस फिलिंग निरस्त की जा चुकी है तथा उन्हें पुनः प्राथमिकता (Priority) के अनुसार समस्त विकल्प (Choice) भरते हुए Choice Lock करना अनिवार्य है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा प्रश्नगत काउंसिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण नहीं कराया गया है अथवा ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा च्वाइस फिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता है अथवा च्वाइस फिलिंग में प्रतिभाग के उपरान्त सम्पूर्ण विकल्प नहीं भरे जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के उपरान्त अवशेष सीटों पर आवंटन प्रदान कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।
- समस्त अभ्यर्थियों को च्वाइस फिलिंग के उपरान्त च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। यदि किसी

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग के पश्चात च्वाईस लॉक नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात च्वाईस Auto Lock कर दी जायेगी।

- सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की नीट एस0एस0 ऑल इंडिया रैंक एवं उनके द्वारा काउंसिलिंग में भरे गये विकल्प के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- प्रश्नगत काउंसिलिंग हेतु सम्बन्धित विशिष्टताओं की सहायक आचार्य, सह-आचार्य तथा अचार्य एवं कॉमन पूल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी सभी सीटों को वैकेंसी के रूप में सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जायेगा।
- अद्यतन सूचनाओं हेतु वेबसाइट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in तथा www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Help Line Number

8189011696, 8189011697, 8189011698

(आलोक कुमार)

अपर निदेशक

संख्या एवं दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग- 4
2. समस्त सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड।
3. कुलसचिव, के०जी०एम०यू०, लखनऊ/यू०पी०यू०एम०एस०, सैफई।
4. निदेशक, एस0जी0पी0आई0, लखनऊ/डा0 मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/पी0जी0सी0आई0एच0, नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
6. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
7. निदेशक, एन०आई०सी०. योजना भवन, लखनऊ/यू०पी०एस०डी०सी०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त समय सारिणी को वेबसाइट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
8. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ०प्र०।

(आलोक कुमार)

अपर निदेशक